फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

बैंक ऑफ बडौदा, केलवाडा शाखा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान 313325 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मंजीव गोपाल गहलोत — **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री राम लाल पुत्र श्री भोली राम बलाई, वार्ड नं. 01, गावॅ कालिन्जर, तहसील कुम्भलगढ, जिला — राजसमन्द(राज.) 313324 — **ऋणी**
2. श्री लालू राम पुत्र श्री कुरा बलाई गावॅ गंगा गुडा, कोयल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला — राजसमन्द(राज.) 313324 **(जमानती)**

— **अप्रार्थीगण**

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 17/2023**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29/01/2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा केलवाडा, राजसमन्द(राज.) में है। प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय में दिनांक 12.10.2023 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार संख्या 45600600000430 के द्वारा रूपये 6,00,000/— एवं ऋण करार संख्या 45600600006891 के द्वारा रूपये 1,40,000/— अर्थात कुल 7,40,000/— का ऋण लिया था। इस हेतु ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित किये थें। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति :— मूल आवासीय पटटा नं. 077, दिनांक 01.06.2017, आराजी नं. 1119 सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत कालिंजर जिसका क्षैत्रफल 1098 वर्गफीट है, को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें। और दिनांक 11.05.2023 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण करार संख्या 45600600000430 में बकाया रूपये 4,24,406.97/— एवं ऋण करार संख्या 45600600006891 में बकाया रूपये 1,06,942.05/— अर्थात कुल 5,31,349.02/— अक्षरे पॉच लाख इकतीस हजार तीन सौ उनचास एवं पैसे दो मात्र दिनांक 05.06.2023 तक शेष व देय निकलते है की मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 08.06.2023 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतो पर प्रेषित किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण	कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नही किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सूपर्द करने का अधिकार प्राप्त हैं। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी हैं। उसका विवरण इस प्रकार हैं – राम लाल पुत्र श्री भोली राम बलाई के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 09.07.2018, मूल आवासीय पटटा नं. 077, दिनांक 01.06.2017, आराजी नं. 1119 सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत कालिंजर जिसका क्षैत्रफल 1098 वर्गफीट है, एवं दिनांक 03.10.2017 को उप रजिस्ट्रार कुम्भलगढ़ राजसमन्द द्वारा पंजिकृत पुस्तक संख्या 01, जिल्द नं. 106, पृष्ठ संख्या 39 से 41 हैं। जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – स्वयं की भूमि एवं प्रेम राम की खातेदारी, पश्चिम – आम रास्ता, उत्तर – स्वयं की भूमि एवं प्रेम राम की खातेदारी, दक्षिण – प्रेम राम का मकान।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा केलवाडा तहसील – कुम्भलगढ, के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा केलवाडा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द